भाग 4 (ग)

उप खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधिशें आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

उद्योग विभाग
अधिसूचना
जयपुर, अप्रेल 21, 2003

जी.एस.आर. 15 – रीको औद्योगिक क्षेत्र (अप्राधिकृत विकास और अधिक्रमण का निवारण) अधिनियम, 1999 (2002 का अधिनियम सं. 9) की धारा 18 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का नाम रीको औद्योगिक क्षेत्र (अप्राधिकृत विकास और अधिक्रमण का निवारण) नियम, 2003 है।

   (2) ये राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (रीको) को अंतरित समस्त भूमि और उक्त कॉरपोरेशन द्वारा क्रीत या अर्जित या अन्यथा धारित भूमि पर लागू होगें।

   (3) ये राज–पत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रतृत होगें।

2. **परिभाषाएं – (1)** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,।

   (क) अधिनियम से रीको औद्योगिक क्षेत्र (अप्राधिकृत विकास और अधिक्रमण का निवारण) अधिनियम, 1999 अभिप्रेत है;

   (ख) 'भूमि का आवंटन' से रीको द्वारा धारित या उसके कब्जे की भूमि को औद्योगिक, वाणिज्यिक, निवासीय आवश्यक कल्याणकारी और समर्थक सेवाओं, या अन्य प्रयोजनों के लिए आवेदन आमंत्रित करके, या नीलाम के माध्यम से या वैयक्तिक या सामान्य बातचीत आरंभ करके या किसी भी अन्य रीति से किसी प्रतिफल सहित या उसके बिना किसी भी व्यक्ति के व्ययनाधीन रखना अभिप्रेत है ;

   (ग) 'कार्यपालक निदेशक' से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निगम का कार्यपालक निदेशक अभिप्रेत है ;

   (घ) 'औद्योगिक संवर्धन और अवसंरचना खण्ड का प्रमुख' से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, निगम के औद्योगिक संवर्धन और अवसंरचना खण्ड का प्रमुख अभिप्रेत है ;

   (ड) 'औद्योगिक क्षेत्र' से वाणिज्यिक और निवासीय प्रयोजनों को सम्मिलित करते हुए उद्योग स्थापित करने के लिए और आवश्यक कल्याणकारी और समर्थक या आनुषंगिक सेवाओं अर्थात, आवासन कॉलोनी, श्रमिक कॉलोनी, दुकानें और बाजार, उद्यान, डाक घर, दूरभाष केन्द्र, शैक्षणिक संस्थाओं, विघुत वितरण कंपनियों के कार्यालय, विघुत केन्द्र, जल प्रदाय केन्द्र, अस्पताल या चिकित्सालय, अग्निसेवा केन्द्र, बैंकों, सिनेमाओं, होटलों और रेस्टोरेंटों, पैट्रोल पम्पों, तुला चौकी और ऐसी

ही सेवाओं के लिए भी राज्य सरकार द्वारा निगम को अंतरित किया गया या उसके व्ययनाधीन रखा गया भूमि क्षेत्र या निगम द्वारा क्रीत या अर्जित या अन्यथा धारित भूमि अभिप्रेत है ;

(च) 'प्रबंध निदेशक' से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त रीको का प्रबंध निदेशक अभिप्रेत है;

(छ) 'व्यक्ति' से कोई भी व्यष्टि, या व्यक्तियों का संगम या निकाय, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या कोई संयुक्त कुटुम्ब, कोई फर्म, कोई कंपनी, चाहे निगमित हो या नहीं, कोई सहकारी सोसाइटी, कोई न्यास, कोई क्लब, कोई संस्था, कोई एजेंसी, कोई निगम, कोई स्थानीय प्राधिकारी, कोई विधिक व्यक्ति और राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार का कोई विभाग अभिप्रेत है ;

(ज) 'वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक', 'उप महाप्रबन्धक', 'वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, 'क्षेत्रीय प्रबंधक', और सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक से निगम द्वारा इस रूप में नियुक्त वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय पंबधक और सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक अभिप्रेत है ;

(झ) 'इकाई प्रमुख' से निगम को ऐसा कोई भी अधिकारी अभिप्रेत है जो तत्समय इकाई कार्यालय के प्रमुख के रूप में कृत्य करता है।

(2) अधिनियम में परिभाषित किये गये किन्तु इन नियमों में परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें समनुदेशित किया गया है।

3. **निगम के कृत्यकारी –** निगम का प्रबन्ध निदेशक अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (6) और (9) के प्रयोजन के लिए निगम को कृत्यकारी होगा।

4. **अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (3) के अधीन अनुज्ञा. –** (1) धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन तामील किये गये नोटिस से व्यथित भूमि का कोई भी पट्टाधारक और/या अधिभोगी नोटिस में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर–भीतर और विनियमों द्वारा अधिकथित रीति से भूमि या किसी भी भवन या संकर्म के प्रतिधारण के लिए, या उस भूमि का, जिसके संबंध में नोटिस है, उपयोग जारी रखने के लिए प्रबंध निदेशक, या उसके द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष रूप से प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

(2) जहां उप –नियम (1) के अधीन किया गया आवेदन प्रबंध निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाये वहां वह अपने आदेश की प्रति भूमि के पट्टा धारक और/या अधिभोगी को साथ ही उसकी एक प्रति ऐसे अधिकारी को भेजेगा जिसने अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन नोटिस जारी किया था।

(3) जहां उप–नियम (1) के अधीन किया गया आवेदन प्रबंध निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिकारी द्वारा नामंजूर कर दिया जाये वहां वह भूमि के पट्टाधारक और/या अधिभागी को उसके द्वारा प्राप्त नोटिस में दिये गये निदेशों का तीस दिन से अनधिक की ऐसी कालावधि के भीतर–भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, पालन करने का निदेश देते हुए अपने आदेश की प्रति भेजेगा और ऐसे

आदेश की प्रति ऐसे अधिकारी को भी भेजी जायेगी जिसने नोटिस जारी किया था।

5. **निरीक्षण या तलाशी का विस्तार–** (1) निरीक्षण या तलाशी, जहां तक संभव हो, ऐसे प्रयोजन या उद्देश्य से संबंधित या उस तक निर्बधित होगी जिसके लिए ऐसा निरीक्षण या तलाशी अपेक्षित है और वह भूमि या भवन के पट्टेदार या अधिभोगी की उपस्थिति में और एक साक्षी की उपस्थिति में भी, यदि ऐसा साक्षी ऐसे निरीक्षण या तलाशी के समय उपस्थित हो, की जायेगी।

(2) जहां निरीक्षण या तलाशी सूर्यास्त तक पूर्ण नहीं होती है वहां उसे मामले की परिस्थितियों के आधार पर जारी रखा जा सकेगा ; और जहां उसे अगले दिन आरंभ करने के लिए बंद कर दिया जाता है वहां चालू रखी जाने वाली प्रक्रिया की विफलता से बचने और पूर्व में किये गये कार्य से संभावित छेड़छाड़ को रोकने के लिए आवश्यक पूर्व सावधानी बरती जायेगी।

(3) निरीक्षण या तलाशी के पूर्ण होने के पश्चात् तथ्यात्मक रिपोर्ट ऐसे अधिकारी द्वारा तैयार की जायेगी जो ऐसा निरीक्षण या तलाशी करता है और वह उसके द्वारा, उपस्थित और हस्ताक्षर करने के इच्छुक भूमि या भवन के पट्टेदार या अधिभोगी द्वारा, और साक्षी द्वारा, यदि कोई हो, हस्ताक्षरित की जायेगी। जहां पट्टेदार या अधिभोगी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो इस प्रभाव का टिप्पण और जहां कोई भी साक्षी उपलब्ध नहीं है वहां उसका टिप्पण रिपोर्ट में किया जायेगा।

(4) रिपोर्ट की प्रति इस प्रकार निरीक्षित या तलाशी ली गयी भूमि या भवन के पट्टेदार या अधिभोगी को निविदत्त या उस पर तामील की जायेगी।

(5) रिपोर्ट की प्रति निरीक्षण या तलाशी पूर्ण होने के पश्चात् यथाशक्त शीघ्र प्रबन्ध निदेशक को भी उसकी सूचना के लिए भेजी जायेगी।

6. **प्रशासनिक अनुदेशों का जारी किया जाना –** प्रबंध निदेशक अध्यक्ष की सहमति से और अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबंधो के अध्यधीन ऐसे प्रशासनिक अनुदेश जारी कर सकेगा जो उसके द्वारा अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे जायें।

संख्या प.4(19)उद्योग/I/95

राज्यपाल के आदेश से,

महेन्द्र सिंह
शासन उप सचिव,
उद्योग (ग्रुप–I) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, April 21, 2003

G.S.R. 15.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the RIICO Industrial Areas (Prevention of Unauthorised Development and Encroachment) Act, 1999 (Act No. 9 of 2002), the State Government hereby makes the following rules; namely:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) These rules may be called the RIICO Industrial Areas (Prevention of Unauthorised Development and Encroachment) Rules, 2003.

(2) They shall apply to all the lands transferred to the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited (RIICO) by the State Government and the lands purchased or acquired or otherwise held by the said Corporation.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**:- (1) In these rules, unless the context otherwise requires-

a) **'Act'** means the RIICO Industrial Areas (Prevention of Unauthorised Development and Encroachment) Act, 1999;

b) **'Allotment of Land'** means placing of land held or posed by RIICO at the disposal of any person for industrial, commercial, residential, essential welfare and supporting services, or other purpose, by inviting applications, or through auction or by initiation of individual or general negotiation or in any other manner, with or without any consideration;

c) **'Executive Director'** means the Executive Director of the Corporation appointed by the State Government;

d) **'Head of IP & I Division'** means the Head of the Industrial Promotion and Infrastructure Division of the Corporation appointed by the State Government;

e) **'Industrial Area'** means an area of land transferred to or placed at the disposal of the Corporation by the State Government or the land purchased or acquired or otherwise held by the Corporation, for setting up industries including for commercial and residential purposes and also for 'essential welfare and supporting or incidental services, e.g. housing colony, labour colony, shops and markets, parks, post office, telephone exchange, educational institutions, office of the electricity distribution companies, power station, water supply station, hospital or dispensary, fire service station, banks, cinemas, hotels and restaurants, petrol pumps, weigh bridges and the like;

f) **'Managing Director'** means the Managing Director of RIICO, appointed by the State Government;

g) **‘Person’** means any individual, or association or body of individuals whether registered or not, a Hindu undivided family or a joint family, a firm, a company whether incorporated or not, a co-operative society, a trust, a club, an institution, an agency, a corporation, a local authority, a juristic person and a department of the State Government or the Central Government;

h) **‘Senior Deputy General Manager’, ‘Deputy General Manager’, ‘Senior Regional Manager’, ‘Regional Manager’, and ‘Assistant Regional Manager’** means the Senior Deputy General Manager, Deputy General Manager, Senior Regional Manager, Regional Manager and Assistant Regional Manager appointed as such by the Corporation;

i) **‘Unit Head’** means any officer of the Corporation who functions for the time being as the Head of the Unit Office.

(2) Word and expressions defined in the Act but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Functionary of the Corporation**- The Managing Director of the Corporation shall be the functionary of the Corporation for the purpose of sub-section (6) and (9) of section 4 of the Act.

4. **Permission under sub-section (3) of section 6 of the Act-**

(1) Any lease holder and/or the occupier of the land aggrieved by the notice served under sub-section (1) of section6, may within the period specified in the notice and in the manner laid down by the regulations, apply to the Managing Director or the officer authorized generally or specially in this behalf by him, for retention of the land or any building or works, or for the continuance of any use of the land, to which the notice relates.

(2) Where the application made under sub-rule (1) is accepted by the Managing Director or the authorized officer, he shall send the copy of his order to the lease-holder and /or the occupier of the land, with a copy thereof to the officer who had issued notice under sub-section (1) of section 6 of the Act.

(3) Where the application made under sub-rule (1) is rejected by the Managing Director or the authorized officer, he shall sent the copy of his order directing the lease-holder and/or the occupier of the land, to comply with the directions given in the notice received by him, within such period not exceeding thirty days, as specified in the order and a copy of such order shall also be sent to the officer who had issued the notice.

5. **Scope of inspection or search-** (1) Inspection or search, to the extent possible, shall be related or restricted to the purpose or object for which

such inspection or search is required to be conducted and it shall be carried in the presence of the lessee or the occupier of the land or building, and also in the presence of one witness, if such witness is available at the time of such inspection or search.

(2) Where the inspection or search is not completed by the time sun sets, it may be continued depending on the circumstance of the case; and where it is discontinued for being taken up on the next day, then necessary precautions shall be taken to avoid the frustration of the process to be continued and to prevent the possible tempering with the work already done.

(3) After completion of the inspection or the search, a factual report shall be prepared by the officer who conducts such inspection or search and it shall be signed by him, by the lessee or the occupier of the land or building present and willing to sign, and by the witness, if any. Where the lessee or the occupier refuses to sign the report, a note to this effect and where any witness is not available, a note thereof, shall be made in the report.

(4) A copy of the report shall be tendered to or served on the lessee or the occupier of the land or the building, so inspected or searched.

(5) A copy of the report shall also be sent to the Managing Director for his information, as early as possible, after the inspection or search is completed.

6. Issue of administrative instruction- The Managing Director may, with the consent of the Chairman and subject to the provision of the Act and the rules and regulations made thereunder, issue administrative instructions as considered by him necessary for carrying out the purposes of the Act.

[No. F.4(19) Ind./1/95]
By Order of the Governor,
महेन्द्र सिंह,
Dy. Secretary to the Government
Industry (Gr-1) Department

रीको औद्योगिक क्षेत्रा (अप्राधिकृत विकास और अधिक्रमण का निवारण) विनियम, 2003

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 21, 2003

संख्या रीको/ए–3(2) 2/200/03:– रीको औद्योगिक क्षेत्र (अप्राधिकृत विकास अधिक्रमण का निवारण) अधिनियम, 1999 (2002 का अधिनियम सं. 9) की धारा 18 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रीको राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ**–1(1) इन विनियमों का नाम रीको औद्योगिक क्षेत्र (अप्राधिकृत विकास और अधिक्रमण का निवारण) विनियम, 2003 है ।

   (2) ये राज–पत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** – रीको औद्योगिक क्षेत्र (अप्राधिकृत विकास और अधिक्रमण का निवारण) अधिनियम, 1999 या तदधीन बनाये गये नियमों में परिभाषित किये गये और इन विनियमों में प्रयुक्त किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें उक्त अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों में समनुदिष्ट किया गया है ।

3. **रीको के अधिकारियों का उत्तरदायित्व** – (1) प्रत्येक वरिष्ठ महाप्रबन्धक, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, क्षेत्रीय प्रबन्धक, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक या प्रबन्ध निदेशक द्वारा साधारण या विशेष रूप से यथा–निर्दिष्ट कोई भी अन्य अधिकारी उसकी अधिकारिता या नियंत्रण के भीतर आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में यह सुनिश्चित करेगा कि –

   (i) कोई भी व्यक्ति स्वप्रेरणा से या किसी भी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा से किसी भी भूमि पर विकास –

   (क) भूमि व्ययन नियमों के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना; या

   (ख) जो दी गयी किसी अनुज्ञा के अनुसार नहीं हो; या

   (ग) जो ऐसी किसी भी शर्त के उल्लंघन में है, जिसके अध्यधीन ऐसी अनुज्ञा दी गयी है; या

   (घ) विकास के लिए अनुज्ञा का सम्यक् रूप से प्रतिसंहरण कर लिये जाने के पश्चात्; प्रारंभ नहीं करे, जिम्मा नही ले या उसे कार्यान्वित नहीं करे;

   (ii) कोई भी व्यक्ति भूमि व्ययन नियमों के अधीन ऐसा किये जाने के लिए अनुज्ञात किये बिना योजना के उपबंधों के उल्लंघन में किसी भी भूमि या भवन का उपयोग चालू नहीं रखे या उसका उपयोग अनुज्ञात नहीं करे, या जहां ऐसे उपयोग का चालू रखा जाना पूर्वोक्त नियमों, या अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन अनुज्ञात किया गया है वहां ऐसा उपयोग ऐसी कालावधि, जिसके लिए ऐसा उपयोग अनुज्ञात किया गया है, के पश्चात् या ऐसे

निबन्धनों और शर्तो, जिनके अधीन ऐसा उपयोग चालू रखा जाना अनुज्ञात किया गया है, का पालन किये बिना चालू नहीं रखे,

(iii) कोई भी व्यक्ति किसी लोग मार्ग में नाली के उपर की सीढ़ियों के सिवाय किसी भी भूमि पर, जो प्राईवेट सम्पत्ति न हो, कोई भी अधिक्रमण नहीं करें और

(iv) कोई भी व्यक्ति किसी लोक मार्ग में नाली के उपर की सीढ़ियों के सिवाय किसी भी भूमि पर, जो प्राईवेट सम्पत्ति न हो, कोई भी बाधा खडी नही करें ।

(2) जहां किसी भी व्यक्ति को किसी भी भूमि या भवन के किसी अप्राधिकृत विकास या अप्राधिकृत उपयोग में लिप्त पाया जाता है या किसी भी भूमि पर अधिक्रमण या उस पर बाधा खडी करने का उत्तरदायी पाया जाता है वहॉ सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र का इकाई प्रमुख या उसकी अनुपस्थिति में प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी, उसकी विनिर्दिष्ट विस्तृत रिपोर्ट उसके द्वारा प्रारम्भ की गयी कार्यवाही सहित तत्काल प्रबन्ध निदेशक को भेजेगा ।

(3) प्रबन्ध निदेशक या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक, रिपोर्ट की परीक्षा करने के पश्चात् उस औद्योगिक क्षेत्र के इकाई प्रमुख या, यथास्थिति, निगम के किसी भी अन्य प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे और निदेश जारी कर सकेगा, जो उसके द्वारा आवश्यक समझे जायें ।

(4) प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र का इकाई प्रमुख आगामी मास की 15 तारीख तक एक मासिक रिपोर्ट प्रबन्ध निदेशक को नियमित रूप से भेजेगा जिसमें उसके क्षेत्र में जिम्मे लिये गये या किये गये महत्वपूर्ण कार्यकलापों के निर्देश के अलावा रीको औद्योगिक क्षेत्र (अप्राधिकृत विकास और अधिक्रमण का निवारण) अधिनियम, 1999 के अधीन किये गये अपराधों से संबंधित एक विनिर्दिष्ट टिप्पण भी सम्मिलित किया जायेगा।

4. **अधिनियम के उपबन्धें के अधीन परिवाद का फाइल किया जाना** – (1) प्रबन्ध निदेशक द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष रूप से प्राधिकृत रीको का कोई अधिकारी, जो सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक की रैंक से नीचे का न हो, ऐसे किसी व्यक्ति, जो अधिनियम के किन्हीं भी उपबन्धों के भंग का दोषी पाया जायें, के विरूद्व सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायलय में परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(2) प्रबन्ध निदेशक, न्यायालय में परिवाद फाइल कर दिये जाने के पश्चात्, उपयुक्त मामलों में, अधिनियम की धारा 9 के उपबन्धों के अधीन ऐसा कोई भी विनिश्चय ले सकेगा या ऐसा कोई भी कदम उठा सकेगा, जो व उचित समझे ।

5. **अधिक्रमण या बाधा का हटाया जाना** – (1) विनियम 4 (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी, अधिनियम की धारा के उपबन्धों के अनुसार, वैतनिक श्रमिकों की सहायता सहित निगम के किन्हीं भी पदधारियों या कर्मचारियों की सहायता से किसी भी भूमि पर अधिक्रमण या बाधा को हटवाने के लिए सशक्त होगा ।

(2) उक्त प्राधिकृत अधिकारी किये गये अधिक्रमण या कारित बाधा का ऐसे व्यक्ति को संक्षित ब्योरा देते हुए, जिसने ऐसा अधिक्रमण किया गया है या वह बाधा कारित की है, उप–विनियम (1) के अधीन उसे हटाने के लिए, सादे कागज पर तीन दिन से अन्यून का नोटिस जारी करेगा ।

(3) ऐसे अधिक्रमण या बाधा को हटाने में उपगत व्यय उक्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति से वसूलीय होंगे जिसने अधिक्रमण किया था या बाधा कारित की थी।

6. **अप्राधिकृत विकास का हटाया जाना** – जहां किसी भी व्यक्ति द्वारा भूमि का कोई भी अप्राधिकृत विकास किया गया है वहां विनियम 4 (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम की धारा 6 के उपबन्धों के अनुसार समुचित कदम उठाने के लिए सशक्त होगा ।

7. **अप्राधिकृत विकास का संक्षिप्ततः बंद किया या हटाया जाना** – जहां किसी व्यक्ति ने अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (1) के उपदर्शितानुसार किसी भूमि पर अप्राधिकृत रूप से कोई भी विकास कार्यान्वित किया है वहां विनियम 4 (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाई करने के लिए सशक्त होगा ।

8. **प्रवेश, निरीक्षण या तलाशी की शक्ति** – जहां अधिनियम के उपबन्धों के विरूद्व किये गये व्यतिक्रम या उल्लंधन का कोई मामला किसी भी साधन से निगम की जानकारी में आता है वहां विनियम 4 (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम की धारा 10 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार प्रवेश, निरीक्षण या तलाशी करने और उठाये जाने के लिये अपेक्षित समस्त अन्य कदम उठाने के लिये सशक्त होगा ।

9. **सम्पत्ति को अभिगृहीत या कुर्क करने की शक्ति** – जहां किसी भूमि पर अधिक्रमण किया जाता है या उस पर कोई बाधा खडी की जाती है वहां विनियम 4 (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम की धारा 4 के उपबन्धों और तदधीन बनाये गये नियमों के अनुसार, ऐसी भूमि पर पायी गयी या ऐसी भूमि से संलग्न या ऐसी भूमि से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी रूप जकडी हुई किसी सम्पत्ति को अभिगृहीत या कुर्क करने के लिए सशक्त होगा ।

10. **अप्राधिकृत विकास या उल्लंधन चालू रखने के लिए अनुज्ञा** – (1) जहां किसी व्यक्ति ने अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (1) में उपदर्शितानुसार किसी भूमि पर कोई अप्राधिकृत विकास कर लिया है या अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के उल्लंधन में किसी भूमि या भवन का उपयोग चालू रखता है या उसका उपयोग अनुज्ञात करता है वहां वह भूमि पर अप्राधिकृत विकास चालू रखने या योजना के उपबन्धों के उल्लंधन में भूमि या भवन का उपयोग चालू रखने की अनुज्ञा के लिए प्रबन्ध निदेशक या उसके द्वारा इस निर्मितत साधारण या विशेष रूप से प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी को, प्राप्त नोटिस की प्रति

सहित सादा कागज पर लिखित आवेदन के माध्यम से आवेदन कर सकेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण होगा :–

(i) अप्राधिकृत विकास या योजना के उपबन्धों के उल्लंधन का ब्यौरा,

(ii) उक्त अप्राधिकृत विकास या योजना के उपबन्धों का उल्लंधन कब से चालू है,

(iii) वे परिस्थितियॉ जिनके अधीन ऐसा अप्राधिकृत विकास या योजना के उपबन्धों का उल्लंधन किया गया,

(iv) वे कठिनाइयां जो ऐसे अप्राधिकृत विकास या योजना के उपबन्धें के उल्लंधन के हटाये जाने के मामले में उत्पन्न हो सकती है,

(v) न्यायोचित्य सहित ऐसे अप्राधिकृत विकास या योजना के उपबन्धों का उल्लंधन चालू रखने के लिए चाही गयी अनुज्ञा का विस्तार,

(vi) पूर्ण या आंशिक अनुज्ञा दिये जाने की दशा में प्रबन्ध निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तो, जिनमें कोई भी संदृाय या प्रतिपूर्ति सम्मिलित है, के अनुपालन का वचन, और

(vii) मामले की विनिर्दिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए कोई अन्य संसंगत तथ्य या विवरण।

(2) उप–विनयम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, प्रबन्ध निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, अधिलेख पर उपलब्ध या अन्यथा प्राप्त तथ्यों की जांच के पश्चात् और आवेदन करने वाले व्यक्ति को सुनने के पश्चात् –

(क) या तो आदेश में नामंजूरी के आधारों का कथन करते हुए अनुज्ञा के आवेदन को पूर्णयता नामंजून कर सकेगा; या

(ख) आदेश में यथा–विनिर्दिष्ट ऐसे निबन्धनों और शर्तो सहित अनुज्ञा के आवेदन को पूर्णतया स्वीकार कर सकेगा; या

(ग) आदेश में भगतः स्वीकृति और भगतः नामंजूरी के आधरों का कथन करते हुए अनुज्ञा के आवेदन को भागतः स्वीकार और भागतः नामंजूर कर सकेगा।

(3) जहां अनुज्ञा के आवेदन को पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर दिया जाता है वहां प्रबन्ध निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी अपने आदेश में इस बारे में भी कथन करेगा कि किस रीति से और किस समय तक, जो तीस दिन से अधिक का न हो, आवेदन करने वाला व्यक्ति अप्राधिकृत विकास या योजना उपबन्धें के उल्लंधन को हटायेगा ।

(4) जहां अनुज्ञा के आवेदन को पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर दिया जाता है वहां प्रबन्ध निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी अपने इस बारे में कथन करेगा कि किस रीति से और किस समय तक, जो तीस दिन से अधिक का न

हो, ऐसी अनुज्ञा के लिए उसके द्वारा अधिकथिक निबंधनों और शर्तो को आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा अनुपालन किया जायेगा ।

(5) जहां, अप्राधिकृत विकास या योजना के उपबन्धों का उल्लंधन चालू रखने की अनुज्ञा की पूर्णतया या भागतः मंजूरी की दशा में, आवेदन करने वाला व्यक्ति प्रबन्ध निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी के आदेश में विनिर्दिष्ट रीति से और समय तक निबंधनों और शर्तो का अनुपालन करने में विफल हो जाता है वहां उक्त अनुज्ञा पूर्णतः या, यथास्थिति, भगतः स्वतः प्रत्याहृत हो जायेगी ।

(6) जहां, अप्राधिकृत विकास या योजना के उपबन्धों का उल्लंधन चालू रखने की अनुज्ञा के लिये आवेदन प्रबन्ध निदेशक द्वारा नामंजूर कर दिया जाता है या जहां कोई अनुज्ञा मंजूर की जाती है किन्तु उप–विनियम (5) के अधीन प्रत्याहृत हो जाती है वहां आवेदन करने वाला व्यक्ति या व्यक्तिक्रम करने वाला व्यक्ति अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विधिक कार्यवाही का दायी होगा ।

11. **मामलों का संस्थित और प्रतिवाद किया जाना**– (1) प्रबन्ध निदेशक , कार्यपालक निदेशक या सलाहकार (अवसंरचना) या उसके द्वारा पदाभिहित किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से, अधिनियम के धीन किये गये अपराधें के संबंध में मामलों को फाइल करने और उनका प्रतिवाद करने पर साधारण पर्यवेक्षणीय नियन्त्रण रखेगा ।

(2) प्रबन्ध निदेशक मामले या मामलों की प्रकृति, समीचीनता और महत्व को देखते हुए, सहमत पाये गये निबन्धनों और शर्तो पर, जिनमें फीस और अन्य आनुषंगिक व्ययों का संदाय सम्मिलित है, अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों के लिए अधिवक्ताओं या विनिर्दिष्ट अधिवक्ताओं का एक पैनल नियुक्त कर सकेगा ।

(3) प्रबन्ध निदेशक मामले या अपील की पैरवी करने या प्रतिवाद करने के लिए उसके प्रभारी प्राधिकृत अधिकारी या किसी भी अन्य अधिकारी को निदेश दे सकेगा ।

(4) मामले या मामलों का प्रभारी अधिकारी न्यायालय (यों) में निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता (ओं) को समस्त सुसंगत अभिलेख, दस्तावेज और सूचना उपलब्ध करवायेगा ।

(5) प्रभारी अधिकारी या उसका समयक् रूप से प्राधिकृत कोई अधीनस्थ मामले या मामलों की सुनवाई की प्रत्येक तारीख पर न्यायालय (यों) में उपस्थित रहेगा और निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता (ओं) के माध्यम से उसकी समुचित रूप से पैरवी करेगा या प्रतिवापद करेगा ।

(6) प्रभारी अधिकारी, रजिस्टर के प्रारम्भ में अनुक्रमणिका देकर और प्रत्येक मामले के लिए कुछ पृष्ठ आवंटित करके ऐसे मामलों का क्रम से

संख्यांकित रजिस्टर रखेगा । किसी मामले के लिए आवंटित पृष्ठ के आरम्भ में मामले का संक्षित ब्यौरा अभिलिखित किया जायेगा और तत्पश्चात् सुनवाई की प्रत्येक तारीख पर की गयी कार्यवाहियो पर कुछ पंक्तियॉ नियमित रूप से प्रविष्ठ की जायेंगी ।

(7) जहां निगम के पक्ष में या उसके विरूद्व अंतरिम या अन्तिम आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है वहां प्रभारी अधिकारी उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करेगा और उसे मामले का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता की रिपोर्ट सहित प्रबन्ध निदेशक द्वारा पदाभिहित और निगम के प्रदान कार्यालय में बैठे हुए अधिकारी को और आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजेगा।

12. **अधिनियम/नियमों के अधीन बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग** – जहां अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन निगम के हित में कोई भी कार्यवाही तुरन्त की जानी अपेक्षित है वहां प्रबन्ध निदेशक अधिनियम या नियमों के अधीन निगम की किसी शक्ति का प्रयोग निगम के अध्यक्ष की सहमति से कर सकेगा जिसमें उसकी राय में निगम के हित की रक्षा होती हो और वह उसके द्वारा बोर्ड की शक्ति का प्रयोग किये जाने के ठीक पश्चात् आयोजित बोर्ड की बैठक में उसकी विस्तृत रिपोर्ट रखेगा और बोर्ड पहले से प्रयोग की गयी शक्ति और कार्यवाही, यदि कोई हो, जो भविष्य में अपेक्षित हो सकती है, पर विचार करेगा ।

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति से,

गोविन्द शर्मा
प्रबन्ध निदेशक, रीको ।

RIICO INDUSTRIAL AREAS (PREVENTION OF UNAUTHORISED DEVELOPMENT AND ENCROACHEMENT) REGULATIONS, 2003

NOTIFICATION

Jaipur, April 21, 2003

No. RIICO/A-3(2)2/200/03.- In excrcise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18 of the RIICO Industrial Areas (Prevention of Unauthorised Development and Encroachment) Act, 1999 (Act No. 9 of 2002), the RIICO with the prior approval of the State Governement hereby makes the following regulation; namely:-

1. **Short title, extent and commencement.-** (1) These regulations may be called the RIICO Industrial Areas (Prevention of Unauthorised Development and Encroachement) Regulations, 2003.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition.-** Words and expressions defined in the RIICO Industrial Areas (Prevention of Unauthorised Development and Encroachment) Act, 1999 or rules made there under used in these regulations, shall have the same meaning as assigned to them in the said Act or the rules made thereunder.

3. **Responsibility of the officers of RIICO**.-(1) Every Sr. Dy. General Manager, Sr. Regional Manager, Regional Manager, Assistan Regional Manager or any other officer as directed generally of specially by the Managing Director, shall ensure in the industrial areas falling within his jurisdiction or control, that-

   (i) no person at his own instance or at the instance of any other person commences, undertakes or carries out development on any land-
   (a) without permisson required under the Land Disposal Rules; or
   (b) which is not in accordance with any permission granted; or
   (c) which is in contravention of any condition subject to which such permission has been granted; or
   (d) after the permission for development has been duly revoked;
   (ii) no person continues to use or allows the use of any land or building in contravention of the provisions of a plan without being allowed to do so under the Land Disposal Rules, or where the continuance of such use has been allowed under the aforesaid rules, or rules, or regulations made under the Act, continues such use after the period for which such use has been allowned or without complying with the terms and conditions under which the continuance of such use has been allowed;

   (iii) no person makes any encroachment on any land, not being private property, except steps over drain in any public street; and

(iv) no person makes any obstruction upon any land not being private property, except steps over drain in any public street.

(2) Where any person is found indulged in any unauthorized development or unauthorized use of any land or building or is found responsible for encroachment or obstruction on any land, the Unit Head of the industrial area concerned or in his absence any other officer authorized by the Managing Director, shall immediately send a specific detailed report thereof together with the action initiated by him, to the Managing Director.

(3) The Managing Director or in his absence, the Executive Director, after having examined the report, may issue such further directions as considered necessary by him to the Unit Head of the industrial area or any other authorized Officer of the Corporation, as the case may be.

(4) The Unit Head of every, industrial area, shall regularly send a monthly report by 15^{th} of the next ensuing month to the Managing Director, in which apart from the reference of the important activities being undertaken or carried on in his region, a specific note relating to the offences committed under the RIICO Industrial Areas (Prevention of Unauthorized Development and Encroachment) Act, 1999, shall be incorporated.

4. Filling of complaint under the provisions of the Act-

(1) An officer of RIICO, not below the rank of an Assistant Regional Manager, authorized generally or specially in this behalf by the Managing Director, shall be competent to file a complaint in the court of the competent jurisdiction against a person who is found guilty of breach of any of the provisions of the Act.

(2) The Managing Director may, after a complaint is filed in a court, in appropriate cases, take any decision or take any steps as he deems proper, under the provisions of section 9 of the Act.

5. Removal of encroachment or obstruction-

(1) The officer authorized under Regulation 4(1), shall be empowered to get removed the encroachment or the obstruction on any land with the help of any officials or employees of the Corporation, including the help of paid labour, in accordance with the provisions of section 4 of the Act.

(2) The said authorized officer shall issue a notice on plain paper stating the short details of the encroachment made or the obstruction caused, of not less than three days to the person who has made the encroachment or has caused the obstruction, for removing the same under sub-regulation (1).

(3) The expenses incurred for removal of such encroachment or obstruction shall be recoverable by the said authorized officer from the person who had made the encroachment or caused the obstruction.

6. **Removal of unauthorized development-** Where any unauthorized development of land has been carried out by any person, the officer authorized under Regulation 4(1), shall be empowered to take appropriate steps in accordance with the provisions of section 6 of the Act.

7. **Removal or discontinuance of unauthorized development summarily-** Where any person has carried out any development on any land unauthorized as indicated in sub-section (1) of section 3 of the Act, the officer authorized under Regulation 4(1), shall be empowered to take action in accordance with the provisions of section 7 of the Act.

8. **Power of entry, inspection or search-** Where any case of default or contravention committed or made against the provisions of the Act comes to the knowledge of the corporation through any means, the officer authorized under Regulation 4(1) shall be empowered to make entry, inspection or search and to take all other steps required to be taken, in accordance with the provisions of section 10 of the Act and the rules made thereunder.

9. **Power to seize or attach the property-** Where any land is encroached upon or some obstruction has been created thereon, the officer authorized under Regulation 4(1) shall be empowered to attach or seize any property found on such land or attached to such land or permanently fastened to anything attached to such land, in accordance with the provisions of section 4 of the Act and the rules made thereunder.

10. **Permission for continuance of unauthorized development or contravention-** (1) Where a person has carried out any unauthorized development on any land as indicated in sub-section(1) of section 3 of the Act, or continues to use or allows the use of any land or building in contravention of the provisions of sub-section (2) of section 3 of the Act, he may apply for permission of continuance of unauthorized development on the land or continuance of apply for permission of continuance of unauthorized development on the land or continuance of use of the land or the building in contravention of the provisions of the plan to the Managing Director or any other officer authorized by him generally or specially in this behalf, through an application on a plain paper in writing with the copy of the notice received, stating therein-

i. the details of the unauthorized development or the contravention of the provisions of the plan;

ii. since when the said unauthorized development or the contravention of the provisions of the plan has been continuing;
iii. the circumstances under which such unauthorized development or contravention of the provisions of the plan was made;
iv. the difficulties which may arise in case of removal of such unauthorized development or the contravention of the provisions of the plan;
v. the extent of permission sought for continuance of such unauthorized development or contravention of the provisions of the plan, with justification;
vi. the undertaking of compliance, with the terms and conditions including any payment or reimbursement, specified by the Managing Director or the authorized officer in case of full or partial permission is allowed; and
vii. any other relevant fact or statement looking to the specific circumstances of the matter.

(2) On receipt of the application under sub-regulation (1), the Managing Director or the authorized officer may, after conducting such enquiry as he deems proper, after going into the facts on record or obtained otherwise and after hearing the person making the application-

a) either reject the application for permission in full stating the grounds of rejection in the order; or
b) accept the application for permission in full with such terms and conditions as specified in the order; or
c) partly accept and partly reject the application for permission, stating the grounds of part acceptance and of part rejection in the order.

(3) Where the application for permission is rejected in full or in part, the Managing Director or the authorized officer shall also state in his order as to in which manner and by which time not exceeding thirty days the person making the application, shall remove the unauthorized development or contravention of the provisions of the plan.

(4) Where the application for permission is accepted in full or in part, the Managing Director or the authorized officer shall state in his order as to in which manner and by which time not exceeding thirty days, the terms and conditions laid down by him for such permission shall be complied with by the person making the application.

(5) Where in the case of grant of the permission for continuance of unauthorized development or contravention against the provision of the plan, in full or in part, the person making the application fails to comply with the terms and conditions in the manner and the time, specified in the order of the Managing Director or the authorized officer,

the said permission, in full or part, as the case may be, shall stand withdrawn automatically.

(6) Where the application for permission of continuance of unauthorized development or contravention of the provisions of the plan is rejected by the Managing Director or where any permission granted but stands withdrawn under sub-regulation (5), the person making the application or the person making the default shall be liable to legal action under the provisions of the Act.

11. Institution and defending of the cases-

1) The Managing Director shall through the Executive Director or the Advisor (Infra) or any other officer designated by him have a general supervisory control over the filling and defending of the cases in connection with the offences committed under the Act.
2) The Managing Director may appoint a penal of advocates or specific advocates for specific cases under the Act, on such terms and conditions including payment of fees, and other incidental expenses as agreed to, looking to the nature, expediency and importance of the case or cases.
3) The Managing Director may, direct the authorized officer or any other officer or any other officer, to pursue or defend the case or appeal as Officer-in-charge of it.
4) The Officer-in-charge of a case or cases shall provide all relevant records, documents and information to the advocate(s) representing the Corporation in the court(s).
5) The Officer-in-charge or any of his duly authorized subordinate shall remain present in the court(s) on every date of hearing of the case(s), and shall pursue or defend the same properly through the Advocate(s) representing the Corporation.
6) The Officer-in-charge shall maintain a serially numbered register of such cases with index in the beginning and having allotted some pages to each case. At the beginning of the page allotted to a case, short details of the case shall be recorded and thereafter, a few lines on proceedings carried out on each date of hearing shall regularly be entered into.
7) Where an interim or final order, for or against the Corporation is passed by the Court, the Officer-in-charge shall obtain the certified copy thereof and shall send the same with the report of the advocate representing the case, to the officer designated by the Managing Director and sitting at the Head Office of the Corporation, for further necessary action.

12. Exercise of the powers of the Board under the Act/Rules- Where any immediate action is required to be taken in the interest of the Corporation under the Act or the rules made thereunder, the Managing Director may with the consent of the Chairman of the Corporation may exercise any

power of the Corporation under the Act or the rules which in his opinion safeguard the interest of the Corporation, and he shall place a detailed report thereof in the meeting of the Board held immediately after the power of the Board is exercised by him and the Board shall take a view on the power already exercised and action which may be required in future, if any.

By approval of Board of Directors,
गोविन्द शर्मा,
Managing Director, RIICO